रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062025-263685 CG-DL-E-09062025-263685

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2459]

No. 24591

नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2025/ज्येष्ठ 19, 1947 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2025/JYAISTHA 19, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2025

का.आ. 2519(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि, लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि बैंकिंग उद्योग में लगी हुई सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 2 के अधीन आती है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी;

और, केन्द्रीय सरकार ने श्रम और रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 5362(अ), तारीख 11 दिसम्बर, 2024 द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 15 दिसम्बर, 2024 से छह माह की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति को छह माह की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंकिंग उद्योग में लगी हुई सेवाओं को 15 जून, 2025 से छह महीने की और अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/05/97-आईआर(पीएल)]

अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

3724 GI/2025 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2025

S.O. 2519(E).—WHEREAS the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the Banking industry, which is covered under item 2 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 15th December, 2024 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 5362(E), dated the 11th December, 2024;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the Banking industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 15th June, 2025.

[F. No. S-11017/05/97-IR(PL)]
AJOY SHARMA, Jt. Secy.